5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. धनीराम तनय पन्नालाल रावत
2. पन्ना तनया मन्था रावत आदिवासी
3. श्रीमती रजनी पुत्री इमरत रावत

श्रीमति रानी पत्नी स्व. इमरत

चारो निवासी ग्राम लखनपुर

तह. राहतगढ़ जिला सागर ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निग. प्र.क. 859—दो/16 आदेश दिनांक 14.03.16

आवेदक पत्र अंतर्गत धारा 152 व्य.प्रक्रिया संहिता

आवेदक की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है :—

1. यह कि, उपर्युक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.03.16 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आवेदक क्र. 1 व 2 धनीराम एवं पन्नालाल के नाम उल्लेखित भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की है जो ग्राम लखनपुर मौजा मेनवारा स्थित भूमि है जिसमें मौजा मेनवारा का उल्लेख न आने से विक्रयपत्र निष्पादन किया जाना किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

3. यह कि उपरोक्त कारण से पारित आदेश में ग्राम लखनपुर मौजा मेनवारा का लेख करते हुए पारित आदेश में सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके सुधार किये जाने से पारित आदेश के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। पूरा आदेश यथावत रखते हुए मात्र मौजा मेनवारा लेख किया जाना है।

अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए पारित आदेश दि० 14.03.16 में उपरोक्तानुसार सुधार किए जाने की कृपा की जावे।

ग्वालियर

दिनाँक : 05/04/16 ....हेतु आवेदक

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निगरानी/3043/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव एवं श्री डी.के. पासी उपस्थित होकर धारा 152 व्य.प्र.संहिता के तहत का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकार धनीराम विरूद्ध शासन प्रकरण क्र. 859—दो/15 के आदेश दिनांक 14.03.16 में भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है किंतु ग्राम लखनपुर मौजा मैनवारा का नाम लेख न होने से विक्रयपत्र निष्पादन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस कारण ग्राम का नाम लेख किये जाने का निवेदन किया है। अवलोकन उपरांत आवेदकगण को ग्राम लखनपुर — मौजा मेनवारा कला स्थित भूमि के विक्रय संबंधी आदेश दिनांक 14.03.16 में दी गई अनुमति यथावत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन मान्य किया जाता है। यह आदेश प्र.क. 859—दो/15 के आदेश दिनांक 14.03.16 का अंग माना जायेगा। सदस्य	

[कृ. प. उ.